

# अवैध शराब गोदाम पर छापा, एक गिरफ्तार

## भारी मात्रा में देशी व अंग्रेजी शराब जब्त

श्रीमाधोपुर, (निसं)। विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता में अवैध शराब की बिक्री और भंडारण के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। श्रीमाधोपुर पुलिस ने नीमकाथाना डीएसटी टीम के सहयोग से एक शराब गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में देशी व अंग्रेजी शराब तथा बीयर की बोतलें बरामद की हैं।

थानाधिकारी विजय सिंह ने बताया कि इस मामले में देशी शराब के 376 पक्के, 69 बोतल बीयर, विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब के 102 पक्के तथा 15 हाफ मिले हैं। इन सबको जब्त कर विक्रय करने वाले कृष्ण कुमार पुत्र राम सिंह जाट निवासी ढाणी चैयरेमनवाली तन हांसपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह शराब गोदाम कृषि उपज मंडी समिति श्रीमाधोपुर के मुख्य गेट के आगे इंदिरा रोड के पास



श्रीमाधोपुर पुलिस ने शराब गोदाम पर छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

जाने वाले कच्चे रास्ते पर स्थित है

ने टीम का गठन कर छापा मारा तथा उक्त कार्रवाई की। पुलिस की इस

कार्रवाई से अवैध शराब व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।

# नाबालिग से दुष्कर्म कर जबरन गर्भपात कराया

## छात्रा के पिता ने एक सरकारी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया

भीलवाड़ा, (निसं)। शाहपुर जिले के शबकरगढ़ थाना क्षेत्र की एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के पिता ने अपनी बेटी से जबरन दुष्कर्म कर और गर्भपात कराने को लेकर एक सरकारी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि भैर घर से कुछ दूर ही एक बाड़ा है जहां पशु बंधे रहते हैं रोजाना

मेरी लड़की भैंसों को चारा पानी डालने जाती थी। छह माह पूर्व से ही पड़ोसी एक सरकारी टीचर सागर तेली उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब उसको पता चला कि नाबालिग गर्भवती है तो सरकारी शिक्षक और उसकी बहन ने मिलकर गर्भपात की टेबलेट लाकर जबरन खिलाई जिससे मेरी पुत्री का 11 अक्टूबर को तेज पेट दर्द करने लगा

जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर गए और उसका प्रारंभिक उपचार कराया। बाद में नाबालिग की मां के पृष्ठने पर आपबीती बताई पिता ने पुलिस में पड़चकर मामला दर्ज कराया। शिक्षक को इस करतूत में उसका साथ उसकी बहन ने भी दिया। इस घटना के बाद से ही सरकारी शिक्षक गांव से भाग छूटा। आरोपी शिक्षक की उम्र 24 वर्ष है।

## श्रेषर मशीन में आने से किसान घायल

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के ओजियाड़ा गांव में श्रेषर मशीन की चपेट में आने से प्रौढ़ के दोनों हाथ कट गए। गंभीर घायल किसान को एमजी हॉस्पिटल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के ओजियाड़ा गांव में खेत पर कुट्टी काटते समय एक प्रौढ़ किसान घनश्याम पिता उदय लाल अहोरे श्रेषर मशीन की चपेट में आ गया। हादसे में प्रौढ़ के दोनों हाथ कट गए, प्रौढ़ को गंभीर घायल अवस्था में निजी साधन से एमजी अस्पताल लाया गया। हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे प्रारंभिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

## राजेन्द्र नायक का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान

सुजानगढ़, (निसं)। भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद लगातार विरोध स्वर के उठ रहे हैं। टिकट की दवेदारी जता रहे भाजपा एएससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र नायक ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नायक ने कहा कि भाजपा द्वारा एएससी वर्ग में सिर्फ मेघवाल जाति को तवज्जो दी जा रही है। जिस कारण अन्य पिछड़े वर्ग के साथ टिकटों में भेदभाव किया जा रहा है।

नायक ने कहा कि सुजानगढ़ पंचायत समिति, बीदासर पंचायत समिति, चूरु जिला प्रमुख एक जाति विशेष के होने के बावजूद भी सुजानगढ़ सीट पर एक जाति पर ही बार-बार दांव खेला जा रहा है। जिस कारण पार्टी में अंत्योदय विचारधारा पर काम नहीं हो रहा।

नायक ने कहा कि वे जनता के बीच में जाकर अब चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके पास कई पार्टियों के ऑफर आ रहे हैं। लेकिन वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि सुजानगढ़ सीट पर भाजपा ने संतोष मेघवाल को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। जिसके बाद अन्य दवेदार टिकट का विरोध जताते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं।

# विवाहिता की गला रेती लाश खंडहरनुमा मकान में मिली

## हत्यारों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के सदर थाना क्षेत्र में हलेडू रोड पर स्थित प्रियदर्शनी नगर के एक खण्डहर मकान के बाथरूम में विवाहिता की गला रेती लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी



विवाहिता की गला रेती लाश।

■ महिला मजदूरी के लिए घर से निकली जो वापस नहीं लौटी

की मांग की और जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक लाश नहीं उठाने की चेतावनी दी है।

उप पुलिस अधीक्षक सदर लक्ष्मणराम ने बताया कि हलेडू रोड पर स्थित प्रियदर्शनी नगर के एक निर्माणाधीन खण्डहर मकान के बाथरूम में एक महिला की गला रेती लाश पड़ी होने के सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची। पुलिस की प्रारंभिक जांच के दौरान मृतक महिला की पहचान प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर की रहने वाली एक विवाहिता के रूप में हुई

है। मृतका के हाथ पर उसके पति का नाम गुदा हुआ था। बताया जा रहा है कि उसके चार बच्चे हैं। वह मजदूरी के लिए कल सुबह घर से निकली जो वापस नहीं लौटी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका

की लाश पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया है। फिल्हाल एमजी मोर्चरी के बाहर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है वहीं पुलिस मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्य जुटा कर हत्यारों की तलाश में जुटी है।

# अजमेर के भाजपा पार्षद के निलंबन आदेश पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। भाजपा के अजमेर के बिजय नगर वार्ड नं.6 के पार्षद के निलंबन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने महेश कुमार जैन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता की ओर से दायर रिट याचिका में अधिवक्ता सहवान नकवी पैरवी के लिये पेश हुए थे। उनकी ओर से दायर याचिका में बताया गया कि महेश कुमार जैन के खिलाफ अरुण कुमार जोशी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी। उक्त मामले में दो नवम्बर 2022 को महेश कुमार जैन को जमानत दे दी गई।

इसके बाद उन्हें नगर पालिका की ओर से एक नोटिस दिया गया जिसके अनुसार उनको कहा गया कि अरुण जोशी ने उन पर रिश्त लेने का आरोप लगाया और स्पष्टीकरण मांगा। हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में कहा गया कि नगर पालिका अजमेर के उन निदेशक और स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक तथा अन्य अफसरों के साथ पत्र व्यवहार के बाद याचिकाकर्ता इस इंतजार में था कि उनसे और सवाल-जवाब किये जाएंगे परंतु 24 अप्रैल 2023 को उन्हें पता चला कि उन्हें घूस लेने के आरोप में मुजरिम माना गया है और उन्हें पार्षद के पद से हटा दिया गया है। हैरानी की बात थी कि

याचिकाकर्ता महेश कुमार जैन को निलंबन के आदेश की कॉपी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। उनके निलंबन को स्थानीय अखबार के जरिये प्रकाशित भी की गई। याचिकाकर्ता द्वारा स्थानीय निकाय विभाग और नगर पालिका द्वारा उनके निलंबन की कॉपी मांगी गई परंतु उन्हें कभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि 9 मई को स्थानीय निकाय विभाग जयपुर द्वारा उक्त मामले में केवियट भी दायर की गई ताकि याचिकाकर्ता की रिट को सुनने से पूर्व हाईकोर्ट स्थानीय निकाय के पक्ष को सुने। उन्होंने अपनी याचिका में कहा

है कि उनके निलंबन के आदेश न्यायिक जांच के बगैर पारित किये गये। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश की कॉपी उपलब्ध नहीं कराये जाने और वे आरोप जो नगर पालिका और स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उनके निलंबन आदेश में सही ठहराये गये थे उनको रद्द करने की गुहार भी की गई। अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद कहा कि उक्त मामला विचारधीन है और साथ ही 24 अप्रैल को पास किये गये निलंबन आदेश पर भी अंतरिम रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को की जायेगी।

# व्यापारियों को धमकी देने वाला गिरफ्तार

अजमेर, (का.सं)। अजमेर सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीर डालते हुए शहर के व्यापारियों की धमकाने के मामले में गंज थाना पुलिस ने आकाश सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे शुक्रवार दोपहर अदालत में पेश किया। जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। थानाप्रभारी भीकाराम काला ने बताया कि गंज बड़ी नागफनी गोपाल कुण्ड रोड

निवासी आकाश सोनी उर्फ गोल्डी (29) को देर रात गिरफ्तार किया है। आकाश सोनी पर सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी फोटो डालकर शहर के लोगों को धमकाने व दहशत फैलाने का आरोप है। पुलिस ने मामले में प्रसन्नान लेते हुए प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस आरोपी से तस्वीरों में दिहाय हथियार बरामदगी के प्रयास में जुटी है।

## नगदी हड़पी

उदयपुर, (का.सं)। शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने एक दम्पति के खिलाफ प्लॉट बेचने का सौदा कर 3 लाख रूपए लेकर हड़पने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार मुकेश पुत्र जगदीश चन्द कुमावत निवासी सर्वश्रेष्ठ विलास ने सोहन पुरी गोस्वामी निवासी तारुवट वल्लभनगर, इसकी पत्नी हिना गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि इस दम्पति ने वर्ष 2021 में उसे एक प्लॉट दिखाया और इस प्लॉट को बेचने का ऑफर दिया। आरोपियों ने इस प्लॉट का सौदा 11 लाख रूपए में कर किया।

## आबकारी टीम ने 35 लीटर हथकड़ शराब जब्त की

मालपुरा, (निसं)। गुरुवार को आबकारी थाना मालपुरा एवं मोर थाना पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से रतवाड़ मोड़ के पास जंजल में छापामार कार्यवाही कर 2400 लीटर वांश नष्ट कर 35 लीटर हथकड़ शराब जब्त मौके पर तीन भद्रियों को नष्ट किया गया। मोर थानाधिकारी रतन सिंह तंवर ने अभियुक्त रसगुल्ला देवी पत्नी फुलेल सांसी ग्राम रतवाड़ के विरूद्ध अवैध शराब व मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम क

तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं विधानसभा चुनाव-2023 के निष्पक्ष एवं निर्विवाद पारदर्शी मतदान को लेकर उपजिला कलेक्टर मनोज कुमार ने गुरुवार को मालपुरा विधानसभा भाग संख्या 94 के मालपुरा व टोडारासिंह उखण्ड क्षेत्र के थानाधिकारियों की बैठक लेते हुए बिना स्वीकृति अवैध रूप से चल रही शराब व डोडा पोस्त की ब्रांचों पर छापामार कार्यवाही कर धरपकड़ के आदेश दिये हैं।

# चोरी व गुम हुए 5 लाख के 28 मोबाइल बरामद

नागौर, (निसं)। नागौर सदर पुलिस थाना टीम ने चोरी व गुम हुए 28 मोबाइल बरामद किए हैं। जिनकी बाजार कीमत 5 लाख रूपए हैं। सदर पुलिस ने इन चोरी व गुम हुए



नागौर पुलिस ने चोरी व गुम हुए 28 मोबाइल बरामद किए।

■ मोबाइलों को गुजरात, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश तथा राजस्थान के विभिन्न जिलों से बरामद किया है

मोबाइलों को गुजरात, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश तथा राजस्थान के विभिन्न जिलों से बरामद किया है। थाना सदर नागौर पुलिस टीम की यह शानदार कार्यवाही रही। सदर थानाधिकारी सुखराम चोटिया व उनकी टीम ने 3 माह में चोरी व गुम हुए 28 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने इस आशय के निर्देश दिए थे जिसकी पालना में सदर थानाधिकारी मयट टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सदर थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने बताया कि अलग-अलग

समय में अलग-अलग प्रार्थियों ने उपस्थित थाना होकर या ऑनलाईन पारटल पर चोरी व गुम हुये मोबाइल कि शिकायत दर्ज कराई थी। इन शिकायतों पर शिकायत दर्ज कर अनुसंधान व तलाश प्रारम्भ किया गया था। आसूचना व कार्यवाही गुम मोबाइलों की शिकायतों पर कार्यवाही करते हुवे व उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार ओमप्रकाश हैड कानि सुरेन्द्र काला कानि, पुनाराम गोदार कानि साईबर सैल, रिट्टिकरण कानि की टीम बनाई जाकर गुमसुद मोबाइल होने की शिकायतों पर

गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करने के लिये निर्देश नागौर एएसपी ने दिये थे। मोबाइल फोन की तलाश हेतु समय समय पर मोबाइल गुमसुद की कॉल डिटेल व ट्रेस हेतु पत्र भेजकर व पोर्टल पर चोरी व गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक की कार्यवाही करते हुए विभिन्न कंपनियों के लगभग 5 लाख रूपये कीमत के 28 मोबाइल फोन को गुजरात आन्ध्रप्रदेश उत्तर प्रदेश व राजस्थान के अलग-अलग जिलों से बरामद किये गये। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में सुरेन्द्र काला कास्टेबल का विशेष योगदान रहा।

# नाबालिग से अश्लील हरकत के आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई

## 20 हजार के अर्थदंड दंडित किया, 14 गवाह व 25 दस्तावेज पेश किए

अजमेर, (का.सं)। नाबालिग बालिकाओं का पीछा कर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को शुक्रवार को अजमेर की पोक्सो कोर्ट के जज ने पांच साल की सजा सुनाकर दंडित किया, साथ ही 20 हजार रूपए का अर्थ दंड भी लगाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह 25 दस्तावेज पेश किए गए।

अजमेर की विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि

केकड़ी शहर थाने में 3 मई को पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 2 मई 2023 को शादी के कार्यक्रम होने से घर के पड़ोस में खेल रही थी, उसे डिन बारात आई थी, जिसमें हेमराज जाट ने शराब पी रखी थी। वह सभी लड़कियों के प्रति बुरी नजर बनाए हुए था। रात में नौ बजे के करीब नाबालिग लड़कियां बाड़े में शौच करने गईं तभी हेमराज उनके ऊपर काफी समय से नजर

बनाए हुए था वह भी चला गया, जाते ही हेमराज को देखकर सभी लड़कियों ने भगने की कोशिश की तो आरोपी ने नाबालिग पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। पीड़िता के विल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां वहां पहुंची तो आरोपी भाग गया। घटना को वहा मौजूद तीनों लड़कियों ने अपनी आंखों से देखा इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी हेमराज पुत्र

रामदेव को गिरफ्तार कर लिया। लोक अभियोजक परिहार ने बताया कि शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट-एक में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह व 25 दस्तावेज पेश किए गए। पीड़िता ने कोर्ट में बयान के समय उसके साथ हुई घटना तथा उसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर जज ने आरोपी हेमराज पुत्र रामदेव को पांच साल की सजा सुनाई और 20 हजार रूपए के

अर्थदंड से दंडित भी किया। वहीं अजमेर के पोक्सो कोर्ट संख्या दो के विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एक नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने एवं उसके अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी राजकुमार को 20 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह व 26 दस्तावेज पेश किए गए।

# विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये हड़पे

उदयपुर, (का.सं)। जिले के खैरोदा थाना क्षेत्र में तीन लोगों ने एक युवक के खिलाफ उसे विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रूपए हड़पने का मामला दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार देवीलाल गुर्जर पुत्र भंवर लाल गुर्जर निवासी बगड खैरोदा, इसके भाई गणेशलाल गुर्जर, जगदीश पुत्र नारायण निवासी गुर्जरी का गुडा वल्लभनगर ने मामला दर्ज करवाया कि वह टाईल्स फिटिंग का काम करता है। उसके मोबाइल पर व्हाट्स एप ग्रुप के माध्यम से मैसेज आया जिसमें अरमेनिया में रोजगार का ऑफर बताया गया। इस पर उसने मैसेज किया कि अरमेनिया में रोजगार के जाने के लिये कितने पैसे लगेंगे तो उसके पास मैसेज आया कि 90 हजार रूपए का खर्चा आएगा। व्हाट्स एप पर मैसेज कर रहे इस युवक ने अपना नाम अर्जुन

■ मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैसेज आया था

सिंह पुत्र सोहन सिंह चौहान निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी नजदीक पार्क रिंग मार्ग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली होना बताया। वह उसके झांसे में आ गया और भाई गणेशलाल गुर्जर एवं अपने मित्र जगदीश को भी इस संबंध में जानकारी दी और तीनों ने इस युवक से बात की तो उसने बताया कि उस देश में 60 हजार रूपए मासिक सैलरी मिलेगी। वह इनकी बातों में आ गया और अलग-अलग समय में 1.70 लाख रूपए ट्रांसफर कर दिए। भाई ने भी 1.70 लाख रूपए ट्रांसफर किए। अर्जुन सिंह ने उससे दस्तावेज वात वीजा के लिये मांगे तो उसने सारे दस्तावेज पासपोर्ट, कोरोना

सर्टिफिकेट एवं पासपोर्ट साईज का एक फोटो व्हाट्सएप पर भेज दिया। इस पर उसका वीजा व्हाट्स एप पर भेजा तो उसने अपने स्तर पर जानकारी ली तो पता चला कि वीजा सही है। इसके बाद उसके भाई और मित्र ने भी अपने दस्तावेज भेजे। इस पर भाई व मित्र को भी वीजा मिल गया। बाद में उसके व्हाट्सएप पर एक टिकट मिला, जिस पर वह दिल्ली गया तो उसे पता चला कि यह टिकट फर्जी है। इस पर वह उसके बताए पते पर गया तो वहां पर पता चला कि अर्जुन सिंह चौहान वहां पर किराए से रहता था पर अभी यह शाहजहांपुर उधरप्रदेश में अपने माता पिता के साथ रहता है। जब वह शाहजहांपुर गया तो वहां पर भी नहीं मिले और बताया कि वह दुबई में है। उसने पैसे रिटर्न करने के लिए कहा तो वह धमकाने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

# ‘भाजपा कभी विचारधारा से समझौता नहीं करती है’

भीलवाड़ा, (निसं)। कोई भी कार्यकर्ता हमेशा बागी नहीं रहता है। समय के साथ उसमें सुधार हो जाता है। बागी पहले बागी थे अब वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह बात पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को भीलवाड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से कही। वार्ताियों को टिकट देने और टिकट वितरण के बाद हो रहे विरोध पर देवनानी ने कहा कि कार्यकर्ता आकांक्षी होता है और कभी बागी बन जाता है। लेकिन हमेशा बागी नहीं रहता। एक समय बाद वो पार्टी की रितियों-नीतियों के लिए कार्य करता है।

देवनानी ने कहा कि जो काम करेगा उसका विरोध होगा। टिकट मांगना सबका अधिकार है। नाजक कोई भी हो सकता है। उन्हें मनाने का काम किया जा रहा है। आकांक्षी लोग विरोध कर रहे हैं। एक दो दिनों के लिए विरोध के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, सभी पार्टी के वफादार हैं। देवनानी ने कहा कि भाजपा कभी विचारधारा से समझौता नहीं करती है।



पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भीलवाड़ा में पत्रकार वार्ता की।

वार्ता के दौरान देवनानी ने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने

कहा कि प्रदेश सरकार के अंतिम दिन नजदीक है। इस राज में महिलायें सुरक्षित

नहीं रही, युवाओं के साथ परीक्षा के नाम पर खिलवाड़ हुआ है, ये पांच वर्ष सिर्फ

■ जो काम करेगा उसका विरोध होगा : पूर्व शिक्षा मंत्री देवनानी

अपराध और अपराधियों के नाम ही रहे। राज्य में प्रतिदिन आठ लोगों की हत्याएं, 18 दुष्कर्म, आये दिन गैंगवार की घटनाओं ने अपराध में राजस्थान को नंबर वन बना दिया है। देश में निर्धनता का एक कांड हुआ लेकिन राजस्थान में कई घटनाएँ हुई हैं, मुख्यमंत्री केवल सत्ता बचाने में लगे रहे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आण्णी तो जिन्होंने पैसा खाया उन्हें जेल में डालेंगे। देवनानी ने राज्य सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं को उड़े बस्ते में डालने के आरोप भी लगाये। वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री दामोदर अवाल, सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विठ्ठल शंकर अवस्थी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा आदि मौजूद रहे।